न्यायालय चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी 01/2013 (RCMS 2013/00026) संशोधित शीर्षक अनवान् प्रेम सिंह पुत्र श्री केसर सिह जाति रायसिख निवासी पक्कती तहसील व जिला श्रीगंगानगर **1/1 भरपूर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह** जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद गांव बाजार घाट पो.ऑ. खजूरिया तहसील पूर्णापूर जिला पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) **बनाम 1. श्रीमती उर्मिला देवी धर्मपत्नी श्री रजनीश शर्मा** निवासी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2. श्रीमती तुलसी देवी धर्मपत्नी स्व. सहीराम** जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टीबी जिला हनुमानगढ (मृत) **2/1 विजय सिंह पुत्र श्री भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टीबी जिला हनुमानगढ़ जंक्शन 3. ओम प्रकाश पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नाई निवासी शेरेकां तहसील टीबी जिला हनुमानगढ जंक्शन**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पैटीशनर के अभिभाषक श्री सुशील बिश्नोई एवं रेस्पोडेंट के अभिभाषक श्री हरजीत सिंह जोली एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

यह है कि प्रेम सिंह पुत्र केसर सिह के मुख्त्यारआम श्रीमती ज्वालीबाई पत्नी प्रेम सिंह जाति रायसिख निवासी पक्की द्वारा डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट की धारा 19(2) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.1985 जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष करके प्रार्थना की कि उसको चक सरकज नहर पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/1 की 8 बीघा 6 बिस्वा 61/3/13 की 4 बीघा 2 बिस्वा 63/3/14 की 8 बीघा 4 बिस्वा 48/6/14 की 7 बीघा कुल 27 बीघा 12 बिस्वा अलॉट हुई थी, बाद में क्लेम खारिज हो जाने से इसकी किश्ते जमा करवाई गई जो बाद में नॉन क्लेमैंट हुआ। उक्त रकबा के अलावा मुरब्बा नम्बर 5 में 3 बीघा रकबा ओर है इस प्रकार कुल 30 बीघा 12 बिस्वा रकबा का वह मालिक है। उपरोक्त रकबा प्रार्थी द्वारा कुछ साल पूर्व 2 साल के लिए गैर सायल रामप्रताप, ओम प्रकाश

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को ठेके पर दिया था, लेकिन ठेका की अवधि समाप्त होने के बाद भी इनके द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया और नाजायज कब्जा किये हुए है। इसलिए उसकी उक्त कृषि भूमि से इनको बेदखल किया जावे । साथ ही उक्त दिनांक 15.07.1987 को कृषि भूमि 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि को रिसिवर नियुक्त करने की प्रार्थना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर जारी नोटिस पर तुलसी बाई पुत्री लूणाराम ने 24.07.1987 को अपना जवाब प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि उनके द्वारा प्रेम सिंह से खरीदशुदा है इसलिए उक्त भूमि पर किसी प्रकार से रिसिवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरान्त जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.01.1988 को यह आदेश पारित किया गया कि सरकज नहर पक्की तहसील श्रीगंगानगर की आराजी खसरा नं 12 में 8.06 बीघा खसरा नं 14 में 12.06 बीघा कुल 20.12 बीघा बारानी भूमि को आवंटी प्रेम सिंह के द्वारा दिनांक 24.04.1972 को तुलसी बेवा सहीराम व ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप बिश्नोई को उक्त रकबा की सनद संख्या 1230 दिनांक 03.03.1956 जारी होने के पश्चात विक्रय किया गया है। इसलिए प्रार्थी प्रेम सिंह का उक्त रकबा पर कोई वैद्य स्वामित्व नही रहा है। अतः उक्त विक्रय की गई 20.12 बीघा वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रार्थी प्रेम सिंह अलॉटी को नहीं दिलाया जा सकता। अगर प्रार्थी उक्त रजिस्ट्री को फर्जी बताता है तो उसे सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकता है। उक्त खसरा नं. 13, 14 की 20.12 बीघा भूमि के अलावा जिस कदर भी अप्रार्थीगण काबिज है, उनका कब्जा अवैध होने के कारण डी.पी.सी.एण्ड आर. एक्ट की धारा 19(2) के तहत तहसीलदार, गंगानगर को पुलिस की सहायता से उन्हें बेदखल करने के आदेश दिये गये।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला पुर्नवास अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12.01.1988 की अप्रसन्नता से प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (एडीएम–सतर्कता, श्रीगंगानगर) के समक्ष केवल नॉन पैटीशनर ज्ञान सिह पुत्र राजाराम बिश्नोई द्वारा अपील संख्या 68/1992 इस आधार पर पेश की कि वह अलॉटी प्रेम सिंह से 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.04.1972 से खरीददार है और काबिज है इसलिए जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 12.01.1988 निरस्त किया जावे, जो बाद सुनवाई प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (एडीएम–सतर्कता, श्रीगंगानगर) के आदेश दिनांक 25.11.1992 के द्वारा अपीलार्थी ज्ञान सिंह को 6 बीघा 19 बिस्वा का रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.04.1972 से खरीददार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिसिवर नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 12.01.1988 निरस्त कर दिया गया।

प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (एडीएम–सतर्कता, श्रीगंगानगर) के उक्त आदेश दिनांक 25.11.1992 की अप्रसन्नता से मूल आवंटी प्रेम सिंह द्वारा इस न्यायालय में निगरानी संख्या 46/1992 प्रेम सिंह बनाम ज्ञान सिंह वगै. पेश की जो निर्णय दिनांक 14.08.2000 द्वारा स्वीकार करके तुलसी बाई, ओम प्रकाश के पक्ष में 20 बीघा भूमि बेचान को फर्जी माना और ज्ञान सिंह द्वारा क्रय की गई 7 बीघा अर्थात 139 हिस्सा भूमि बेचान को सही माना और **उसकी हद तक दिनांक 12.01.1988 का आदेश निष्प्रभावी कर दिया** और इस न्यायालय द्वारा उर्मिला पत्नी रजनीश का प्रार्थना पत्र संख्या 69/2000 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी भी दिनांक 30.03.2002 के निर्णय द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अगर उसका उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो यह मूल आदेश को रिव्यु करने के समान होगा, जिसका डी.पी.सी.एण्ड आर. एक्ट 1954 के तहत रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस न्यायालय के उक्त आदेशों 14.08.2000 के विरूद्ध क्रेतागण तुलीस बाई, विजय सिंह एवं ओम प्रकाश द्वारा संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष पैटीशन संख्या 15/2000 पेश की, जो डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिपिल होने के कारण खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध माननीय हाईकोर्ट के समक्ष पैटीशनर तुलसी देवी वगै. के द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 1822/2012 पेश की, जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 18.05.2012 से स्वीकार होकर मूल नम्बर पर दर्ज करके छः माह के भीतर प्रकरण के संभागीय आयुक्त, बीकानेर को निस्तारण करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुसरण में **माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर** ने श्रीमती उर्मिला देवी, तुलसी देवी वगै. की पैटीशन संख्या 15/2020 विविध 03/2012 में अपने आदेश दिनांक 03.11.2013 के निर्णय से पैटीशन स्वीकार करके इस न्यायालय का **आदेश दिनांक 14.08.2000 व 30.03.2002 निरस्त करके पैटीशनर संख्या 1 ता 3 व शेष पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार निर्णय करने के लिए रिमाण्ड किया गया है** और पक्षकारों को इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2013 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया।

उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर 01/2013 के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी उर्मिला देवी व विजय सिंह की ओर से श्री हरजीत सिंह जोली नियत दिनांक 23.12.2013 को उपस्थित आये और शेष पक्षकारों के उपस्थित न आने के कारण तलब करने के आदेश दिये गये। पैटीशनर ज्वाला बाई की मृत्यु होने के कारण उसके पुत्र भरपूर सिंह पुत्र प्रेम सिंह को पैटीशनर के रूप में संभागीय आयुक्त, बीकानेर के द्वारा ही पक्षकार के रूप में स्थापित किया हुआ हैं। प्रार्थीगण मूल पटैशन 46/1992 – प्रेम सिंह मुख्त्यारआम ज्वालाबाई पत्नि प्रेमसिंह बनाम ज्ञान सिंह वगै. के नॉन पैटीशनर ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम, बनवारी लाल प्रेम सिह, रामप्रताप व ओमप्रकाश

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पिसरान लूनाराम के नोटिस क बावजूद उपस्थित न आने के कारण दिनांक 04.09.2019 को उनके नोटिस तेज केसरी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये किन्तु उनके द्वारा दिनांक 16.09.2019 को उपस्थित न आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वर्तमान पैटीशनर फलभूर सिंह के विद्वान अभिभाषकगण श्री सुशील बिश्नोई, फलभूर सिंह एवं अप्रार्थीगण नॉन पैटीशनर उर्मिला देवी पत्नी रजनीश कुमार एवं विजय सिंह पुत्र रूप सिंह के अभिभाषक श्री हरजीत सिंह जोली एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई और पैटीशनर के अभिभाषक द्वारा दिनांक 06.11.2019 को लिखित बहस और रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 23.10.2019 को लिखित बहस पेश की गई है।

वर्तमान पैटीशनर फलभूर सिंह पुत्र प्रेम सिंह के विद्वान अभिभाषक श्री सुशील बिश्नोई का कथन था कि पैटीशनर प्रेम सिंह को 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि क्लेमैंट आवंटी के रूप में आवंटन की गई थी और जिसकी प्रोविजनल सनद संख्या 1280 दिनांक 03.03.1959 को जारी की गई थी किन्तु प्रेम सिंह द्वारा 19.09.1983 को एक प्रार्थना पत्र मय फार्म नं. 16 प्रस्तुत किया कि 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि डेफिसेंसी(Deficiency) में अलॉट हुई। जिसकी किश्ते भी बेबाक कर दी गई है, इसलिए उसकी सनद बनाई जावे।

उनका आगे कथन था कि इस पर सम्बन्धित कार्यालय के ध्यान में आया कि आवंटी के क्लेम से सम्बन्धित Appendix - 8 उपलब्ध नहीं है, जिस पर भारत सरकार के पुर्नवास विभाग से पैटीशनर के क्लेम सम्बन्धी जानकारी चाही गई तो ज्ञात हुआ कि उसका क्लेम दिनांक 23.05.1962 को Reject हो चुका है और जो पूर्व में क्लेमैंट के रूप में प्रोविजनल सनद जारी की गई थी वह स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई है। इसलिए दिनांक 23.05.1992 को रकबा नॉन क्लेमैंट हो गया और उसके बाद दिनांक 18.12.1972 व दिनांक 24.04.1972 को किये गये बैयनामें कानून विरूद्ध होने से उनका कोई प्रभाव नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कब्जा अवैध है और वे प्रेम सिंह की उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन जीवों के आधार पर होने से अकेले प्रेम सिंह को बेचने का अधिकार नहीं था। इसलिए भी अकेले प्रेम सिंह द्वारा किया गये अन्तरण अवैध है। अतःपैटीशनर की पैटीशन स्वीकार कर अप्रार्थीगण/नॉन पैटीशनर को 30 बीघा 12 बिस्वा से बेदखल किया जावे और रकबा वापिस प्रेम सिंह व पैटीशनर फलभूर सिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत नॉट पैटीशनर उर्मिला देवी व विजय सिंह के विद्वान अभिभाषक श्री हरजीत सिंह जोली का कथन था कि पैटीशनर ने उसको आवंटन शुदा 7.06 बीघा जो डैमेज पूर्ति के लिए अलॉट करवाई थी उसमें आई प्लीडिंग(Pleading) को आधार बनाकर क्लेम रिजैक्ट(Claim Reject) होने व सनद न होने के कथन किये है जबकि उक्त पत्रावली के निर्णय में पैटीशन को क्लेमैंट मानकर 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि अलॉट की गई है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा 03.05.1984 को प्रेम सिंह के नाम सनद् जारी करना यह साबित करता है कि अपीलांट को बतौर क्लेमैंट उक्त 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि अलॉट की गई थी और बाद मे इसी क्लेम के आधार पर 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि अलॉट हुई है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में पैटीशनर के दिये गये उक्त तर्क उस समय ही अस्वीकार कर दिये गये थे।

उनका आगे यह भी कथन था कि पैटीशनर मृतक प्रेम सिंह द्वारा विचारधीन प्रकरण संख्या 153/1985 में यह प्रार्थना की गई थी उसको 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि पुख्ता अलॉटशुदा है और यह भूमि उनके द्वारा पृथ्वीराज आदि को ठेके पर दी गई थी, जिनके द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। इसप्रकार वर्तमान पैटीशीनर को प्लीडिंग(Pleading) बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि पैटीशनर के द्वारा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि की सनद् के लिए सम्बन्धी न्यायालय ने अपनी ऑर्डरशीट दिनांक 02.05.1984 में यह अंकित किया है कि उक्त 27.12 बीघा भूमि उनको अलॉट थी जो उन्होनें पृथ्वी आदि को विक्रय कर दी थी। इस प्रकार पैटीशनर अपने कथनो से पीछे नहीं हट सकता और न्यायालय के द्वारा जारी पश्चातवर्ती सनद् से यह साबित होता है कि न तो अपीलांट का क्लेम रिजैक्ट होना स्वीकार किया गया और न ही सनद् को विवादग्रस्त होना स्वीकार किया। इस प्रकार पश्चातवर्ती सनद् पूर्व की सनद पर खड़ी हुई है। अतः स्पष्ट है कि रकबा क्लेमैंट के रूप में ही अलॉट हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन था कि पैटीशनर प्रेम सिंह द्वारा सनद् जारी होने के पश्चात तुलसी बाई बेवा सहीराम 19 बीघा 12 बिस्वा व ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप 1 बीघा कुल 20 बीघा 12 बिस्वे का अन्तरण रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 24.04.1972 के द्वारा किया गया है और तब से नॉन पैटीशनर तुलसी बाई और ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप वैध रूप से स्वामी है और लगातार काबिज चले आ रहे है। इसलिए पैटीशनर का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.1985 व 15.07.1987 जो अधीनस्थ न्यायालय में नॉन पैटीशनरस को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिए पेश किये गये थे, जो खारिज करने योग्य है, जो उनकी हद तक जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सही रूप से खारिज किये गये थे।

उनका आगे यह भी कथन था कि एक तरफ तो पैटीशन सनद् न होने तथा क्लेम रिजैक्ट होने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस मद में जीवों के आधार पर भूमि अलॉट होना मानकर अकेले प्रेम सिंह को भूमि विक्रय करने का अधिकार स्वीकार नहीं कर रहा है। जिससे यह उसकी स्वीकृति मानी जावेगी कि पैटीशनर का मूल प्रार्थना पत्र भूमि ठेके पर देने के बाद कब्जा स्वतः ही झूठा है तथा इस भूमि की सनद न होना और क्लेम रिजैक्ट होना स्वतः ही साबित है कि अपीलांट गलत कथन कर रहा है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजकीय अभिभाषक का कथन है कि D.P.(C&R) Act 1954 के अन्तर्गत आवंटी को वाद ग्रस्त भूमि की सनद् जारी होने के बाद ही कृषि भूमि विक्रय करने का अधिकार होता है। अगर कोई भूमि सनद् से पूर्व बेचान कर दी हो तो इस न्यायालय को आवंटी एवं क्रेता के विरूद्ध कार्यवाही करने की अधिकारिता होती है और अगर सनद् के पश्चात कृषि भूमि बेचान होती है तो इस न्यायालय को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नही है। अतः इस मामले के तथ्यों को देखते हुए ही श्रीमान् न्यायालय द्वारा ही विधि सम्मत निर्णय लेना उचित होगा।

चूंकि माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत पैटीशन संख्या 15/2002 विविध 3/2012 अनवान् उर्मिला देवी वगै. बनाम ज्वाला बाई वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.11.2013 के द्वारा इस न्यायालय की रिविजन संख्या 46/1992 अनवान् प्रेम सिह बनाम ज्ञान सिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.08.2000 एवं विविध प्रार्थना पत्र संख्या 69/2000 श्रीमती उर्मिला बनाम प्रेम सिंह वगै. अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी **में पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 निरस्त किये जा चुके है और प्रकरण इस न्यायायल को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। अब इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या प्रेम सिंह को आवंटित कृषि भूमि 27.12 बीघा पर नॉन पैटीशनर अतिक्रमी के रूप में काबिज है और क्या वह बेदखल करने योग्य ठहरते है और क्या पैटीशनर के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.1985 व 15.07.1987 पर जिला पुर्नवास अधिकारी का पारित आदेश दिनांक 12.01.1988 एवं ज्ञान सिंह द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या** 68/1992 में **प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (अति. जिला कलक्टर–सतर्कता), श्रीगंगानगर का पारित आदेश दिनांक** 25.11.1992 विधि सम्मत् है अथवा नहीं? जिसके द्वारा ज्ञान सिंह के विरूद्ध पारित आदेश 12.01.1988 निरस्त किया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को, लिखित बहस एवं सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि पैटीशनर प्रेम सिंह पुत्र केसर सिंह जरिए मुख्त्यारेआम ज्वाला सिंह पत्नी प्रेम सिंह द्वारा **दिनांक 21.08.1985 को एक प्रार्थना पत्र जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष The Displaced Persons (Compensation And Rehabilitation) Act, 1954 के Section 19(2)** के तहत तुलसी बाई, बनवारी लाल, प्रेम, रामप्रताप, ओमप्रकाश पिसरान लूनाराम के विरूद्ध पेश किया, जिसमें उसके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि प्रार्थी को सरकज नहर पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/1 की 8 बीघा 6 बिस्वा 61/3/13 की 4 बीघा 2 बिस्वा 63/3/14 की 8 बीघा 4 बिस्वा 48/6/14 की 7 बीघा कुल 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि अलॉट हुई थी और उक्त रकबे के अलावा खसरा नं. 5 में 3 बीघा रकबा है इस प्रकार कुल 30 बीघा 12 बिस्वा रकबा का वह मालिक है और उक्त रकबा कुछ साल पूर्व में दो साल के लिए गैर सायल रामप्रताप, ओम प्रकाश को ठेके पर दिया गया था लेकिन ठेका की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया और नाजायज कब्जा किये हुए है, इसलिए उक्त रकबे से गैर सायलान को बेदखल किया जावे और कब्जा छुडाकर सायल को दिलाया जावे और साथ ही रिसीवर नियुक्त करने के लिए भी उसके द्वारा दिनांक 15.07.1987 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर सुनवाई के उपरान्त जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.01.1988 के द्वारा निम्न आदेश पारित किया :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामे से यह स्पष्ट है कि सरकज नहर पक्की तहसील श्रीगंगानगर की आराजी खसरानं. 12 में 8—06 बीघा, खसरा नम्बर 14 में 12—06 बीघा कुल 20—12 बीघा बरानी रकबा प्रेम सिंह अलॉटी ने 24.04.1972 को श्रीमती तुलसी बेवा सहीराम व ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप बिश्नोई को विक्रय किया जाने से प्रार्थी का अब इस रकबा पर किसी प्रकार का वैद्य सत्व नहीं रहा है। इस रकबा को सनद् संख्या 1230 दिनांक 03.03.1956 भी जानी होना पाया जाता है। अतः इसका कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। यदि प्रार्थी रजिस्ट्री फर्जी बताता है तो इसे सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकते है। खसरा नं. 13, 14 को 20—12 बीघा भूमि के अलावा जिस कदर भी अप्रार्थीयान काबिज है, इनका कब्जा अवैध होने से डीपीएक्ट की धारा 19(2) के अन्तर्गत बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीगंगानगर इस अतिरिक्त भूमि यदि कोई गैरसायल के कब्जे काश्त में हो तो पुलिस की सहायता से प्रार्थीया व उसके पति को दिलवाए जाने की कार्यवाही करे। सीगेदार वसूली/आवंटन पत्रावली तलाश कर यदि कोई बकाया हो तो वसूली कार्यवाही करें। पत्रावली निर्णय शुमार हो। बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.1988 को खुले न्यायालय में सुनाया गया, लिखाया गया।

-sd-

जिला पुर्नवास एवं प्रबंधक अधिकारी
गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त आदेश दिनांक 12.01.1988 में प्रेम सिंह द्वारा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि का जो बेचाननामा दिनांक 24.04.1972 को श्रीमती तुलसी बेवा सहीराम व ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप को सनद् दिनांक 03.03.1956 जारी होने के बाद उक्त भूमि पर प्रेम सिंह का कोई वैद्य स्वामित्व होना स्वीकार नहीं किया है और शेष भूमि पर अगर कोई काबिज हो तो उसे ही बेदखल करने के आदेश दिये गये है।

उक्त शेष 7 बीघा वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित व्यक्ति केवल क्रेता ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम है जिसके द्वारा प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (एडीएम), श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक अपील संख्या 68/1992 अनवानी ज्ञान सिह बनाम जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रेम सिंह वगै. के रूप मे जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.01.1988 को चुनौती दी गई। उक्त अपील संख्या 68/1992 में निर्णय दिनांक 25.11.1992 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :

> अधीनस्थ न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 12.01.1988 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा विक्रय किये जाने के विक्रय पत्र को किसी भी सिविल न्यायालय में अवैध घोषित नहीं किया है। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार है। अधिकार अभिलेख में अपीलांट का नाम दर्ज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 12.01.1988 निरस्त किया जाता है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। यह आदेश कोर्ट इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।
>
> -sd-
> अति. जिला कलैक्टर(सतर्कता)
> गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार प्राधिकृत सैटमैंट कमीशनर (अति. जिला कलक्टर—सतर्कता) श्रीगंगानगर ने उक्त निर्णय दिनांक 25.11.1992 के द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी का आदेश दिनांक 12.01.1988 अपीलांट ज्ञान सिंह क्रेता के द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 24.04.1972 से क्रय की गई भूमि से बेदखल करने सम्बन्धी आदेश को भी निरस्त कर दिया गया।

सनद् पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पैटीशनर/आवंटी प्रेम सिंह पुत्र केसर सिंह को चक सरकज नहर पक्की के खसरा नं. 60/1/13 की 8—06 बीघा, 61/3/14 की 4—2 बीघा 63/3/14 की 8—04 बीघा एवं 48/6 की 7 बीघा कुल 27—12 बीघा को सनद संख्या 1230 दिनांक 03.03.1959 जारी की गई है एवं मुरब्बा नम्बर 47 के किल्ला नंम्बर 4 की 3 बिस्वा एवं मुरब्बा नम्बर 48 के किल्ला नं 2,3,8,9,1,12,13,19,20,22 की 7 बीघा 3 बिस्वा कुल 7 बीघा 6 बिस्वा बारानी की सनद संख्या 1922 दिनांक 03.05.1984 क्लेमैंट अलॉटी के रूप जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा जारी की गई है। इस प्रकार प्रेम सिंह पुत्र केसर सिंह को कुल 34 बीघा 18 बिस्वा की सनद जारी हो चुकी है। डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट 1954 के प्रावधानों के अनुसार सनद् जारी होने के पश्चात ही आवंटी अपनी भूमि बेचने के लिए सक्षम है। आवंटी प्रेम सिंह द्वारा अपनी अलॉटशुदा भूमि खसरा नम्बर 13 के 8 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 14 की 12 बीघा 6 बिस्वा कुल 20 बीघा 12 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.04.1972 के द्वारा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि श्रीमती तुलसी बेवा सहीराम को एवं 1 बीघा ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई को साकिन बजीतपुरा भोमा तहसील फाजिल्का(पंजाब) को विक्रय की गई है और कब्जा भी खरीददार को दिये जाने का बैयनामा में उल्लेख किया गया है। ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई साकिन हरीपुरा तहसील फाजिल्का को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा 24.04.1972 को खसरा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नं. 5 मिन. की 7 बीघा बारानी भूमि का प्रेम सिंह द्वारा अन्तरण किया गया है और उसका कब्जा भी उसे दिये जाने का बैयनामा में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सनद् संख्या 1230 दिनांक 03.03.1959 में अंकित 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि का अन्तरण प्रेम सिंह आवंटी द्वारा उक्तानुसार क्रेतागण तुलसी देवी बेवा सहीराम, ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप एवं ज्ञान सिंह को किया जाना एवं कब्जा दिया जाना प्रतीत होता है।

चूंकि मूल पैटीशनर मृतक प्रेम सिंह द्वारा विचारधीन प्रकरण संख्या 153/1985 में जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष यह प्रार्थना की गई थी कि वादग्रस्त 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि उसको पुख्ता अलॉटशुदा है और यह भूमि उसके द्वारा पृथ्वीराज आदि को ठेके पर दी गई थी, जिनके द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। **वर्तमान पैटीशनर फलभूर सिंह पुत्र प्रेम सिंह** अपने पिता प्रेम सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21.08.1985 व 15.07.1987 में लिये गये कथनों से बाहर जाकर अन्य कोई कथन पलीडिंग(Pleading) नहीं कर सकता। इसलिए मृतक प्रेम सिंह के पुत्र फलभूर सिह द्वारा उसके वादग्रस्त भूमि नॉन क्लेमैंट होने सम्बन्धी एवं सनद तथा बेचान की अधिकारिता के सम्बन्ध में उठाये गये तर्क स्वीकार नहीं किये जा सकते, ऐसे कथनों को वह अपने स्तर से अलग से पैटीशन पेश करके उसके माध्यम से ही उठा सकता था, जो उसके द्वारा ऐसी कोई पैटीशन प्रस्तुत नहीं की गई है। मृतक प्रेम सिंह पैटीशनर द्वारा इस आधार पर प्रार्थना की गई थी कि उसको आवंटित वादग्रस्त भूमि पर पृथ्वीराज को ठेके पर देने के पश्चात, उनके द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाया जावे। इस प्रकार वह मृतक प्रेम सिंह के ऐसे कथनों को ही आगे बढा सकता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि मूल आवंटी पैटीशनर प्रेम सिंह को उक्त 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि की जारी की गई सनद् संख्या 1280 दिनांक 03.03.1959 के अलावा पत्रावली में शेष 7–06 बीघा भूमि की सनद् उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.1984 और 19.08.1983 पर एवं समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात क्लेमैंट के रूप में सनद संख्या 1922 दिनांक 03.05.1984 प्रेम सिह अलॉटी को जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रेम सिंह को कुल भूमि 34–18 बीघा आवंटित हुई थी, जिसमें से 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि की सनद् दिनांक 03.03.1959 को एवं शेष रही 7–6 बीघा कृषि भूमि की सनद 03.05.1984 को प्रेम सिंह के नाम जारी की गई है। उक्त 7–6 बीघा भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में भी तहसीलदार, गंगानगर से प्रतिवेदन तलब किया गया जो 13.12.19 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार उक्त 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि उक्त सनद् 03.05.1984 के बाद भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को बेचान होनी पाई जाती है जो की उक्त **सनद जारी होने के बाद बेचान की गई है और उक्त 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि का इस प्रकरण कोई सम्बन्ध भी नहीं है।**

चूंकि **The Displaced Persons (Compensation And Rehabilitation) Act, 1954** के प्रावधानों के अन्तर्गत क्लेमैंट/नॉन क्लेमैंट अलॉटी सनद् जारी होने के पश्चात आवंटित भूमि का अन्तरण करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पैटीशनर प्रेम सिंह द्वारा दिनांक 21.08.1985 को धारा 19(2) डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट के अन्तर्गत इस आश्य जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया गया था कि उसकी भूमि पर रामप्रताप, ओम प्रकाश ने अवैध कब्जा कर रखा है और उन्हें बेदखल किया जावे। चूंकि सम्बन्धित अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध बैयनामें दिनांक 24.04.1972 के अनुसार आवंटी प्रेम सिंह ने खसरा नम्बर 13 की 8–06 बिस्वा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

और 14 की 12—06 बीघा कुल 20—12 बीघा में से 19 बीघा 12 बिस्वा श्रीमती तुलसी देवी बेवा सहीराम एवं 1 बीघा भूमि ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप को अन्तरण किया है और ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम को दिनांक 24.04.1972 को 7 बीघा भूमि का अन्तरण किया है। इस प्रकार उक्त नॉन पैटीशनर श्रीमती तुलसी बेवा सहीराम, ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप एवं ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम जो कि पैटीशनर प्रेम सिंह द्वारा उनके पक्ष में किये गये उक्त बैयनामें दिनांक 24.04.1972 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि 27—12 बिस्वा भूमि पर वैद्य रूप से काबिज होना साबित होते है। अतः प्रार्थी प्रेम सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.1985 अन्तर्गत 19(2) डी.पी.एण्ड सी. आर. एक्ट 1954 बाबत विवादग्रस्त भूमि से बेदखली एवं रिसिवरी नियुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.1987 एवं पैटीशनर प्रेम सिंह प्रस्तुत निगरानी संख्या 46/1992 अनवानी प्रेम सिंह बनाम ज्ञान सिंह, तुलसी बाई वगै. जो प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर (अति. जिला कलक्टर—सतर्कता), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.11.1992 एवं जिला पुर्नवास अधिकारी के आदेश दिनांक 12.01.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी भी खारिज करने योग्य है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त नॉन पैटीशनर श्रीमती तुलसी बेवा सहीराम, ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप एवं ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम उक्त 27 बीघा 12 बिस्वा विवादग्रस्त भूमि पर प्रेम सिंह द्वारा किये गये उक्त बेचनानामों के आधार पर वैद्य रूप से स्वामित्व रखते है और उसी आधार पर ही काबिज है। इस प्रकार प्रेम सिंह के उक्त प्रार्थना पत्रों पर उक्त सद्भावी क्रेतागण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बेदखली आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रेम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.1985 अन्तर्गत धारा 19(2) डी.पी.सी.एण्ड आर. एक्ट 1954 बाबत विवादग्रस्त भूमि से बेदखली एवं रिसिवरी नियुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.1987

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

खारिज किये जाते है एवं प्रेम सिंह अलॉटी द्वारा प्रस्तुत रिविजन 46/1992 (01/2013) अनवानी प्रेम सिंह बनाम ज्ञान सिंह वगै. भी खारिज की जाती है एवं अति. जिला कलक्टर–सतर्कता का आदेश दिनांक 25.11.1992 ज्ञान सिंह की हद तक बहाल रखा जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान सिंह के विरूद्ध जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर का पारित आदेश दिनांक 12.08.1988 निरस्त किया गया है एवं क्रेतागण तुलसी बाई बेवा सही राम एवं ओम प्रकाश पुत्र रामप्रताप के पक्ष में दिनांक 12.01.1988 को जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश उनकी हद तक सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए उक्त आदेश भी उनकी उनकी हद तक बहाल रखा जाता है। अतः **जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर** आदेशित किया जाता है कि अगर विवादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि बकाया हो तो नियमानुसार क्रेतागण से वसूल की जावे। आदेश की प्रति जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) को सम्बन्धित अभिलेख के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
चीफ सैटलमैंट कमीश्नर
एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर